<u>न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़</u>

<u>पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस</u>

प्रकरण सं0 : 166/2018

अनवान :

1. रामस्वरूप पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. हरफुल पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
4. मोहरसिंह पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
5. शीशपाल पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
6. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
7. संगीता पत्नी राममूर्ति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
8. विशाल पुत्र राममूर्ति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
9. विकासकुमार पुत्र स्व0 राममूर्ति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
10. दर्शना पत्नी स्व0 जगदीश जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
11. एकता पुत्री स्व0 जगदीश जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
12. अजयकुमार पुत्र स्व0 जगदीश जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

- वादीगण

<u>बनाम</u>

1. रामजस पुत्र दलुराम जाट निवासी शिवदनपुरा तहसील भादरा।
2. शान्ति पुत्री रामजस जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. एसबीआई डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि 1955</u>

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादीगण**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक :** 20·6·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के वर्तमान खाता सं0 112/106 के खसरा सं0 187 की 2.010 है0 खसरा सं0 336/375 की 12.140 है0 खसरा सं0 346 की 1.569 है0 खसरा सं0 361/287 की 2.529 है0 कुल 18.248 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामजस के नाम से खातेदारी दर्ज है जो पहले वादीगण सं0 1 ता 6 के दादा दलुराम की खातेदारी हुआ करती थी, दलुराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी रामजस ने वादभूमि का विरासतन इन्तकाल कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा लिया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा तर्क कर शुन्य कर लिया था तथा उक्त वादभूमि वादीगण सं0 1 ता 6 को 6/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के

अनुसार तथा वादीगण सं0 7 ता 9 को 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तथा वादीगण सं0 10 ता 12 को 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। उक्त वादभूमि के अलावा रोही बुढेर के खाता सं0 85/87 के खसरा सं0 226/277 की 3.984 है0 में 1/2 हिस्सा व रोही कलाना के खाता सं0 47/40 के खसरा सं0 348 व 372 में स्थित भूमि जो प्रतिवादी रामजस के नाम से खातेदारी दर्ज है, वह रामजस के हिस्सा में आ गई थी। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी रामजस की कब्जा काश्त चली आ रही है, परन्तु कुल भूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रामजस के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 रामस्वरूप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा के खाता सं0 112/106 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम बुढेर के खाता सं0 85/87 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कलाना के खाता सं0 47/40 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 7, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादीगण के दादा दल्लु वल्द बल्लु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में रामजस के वारिसान में पत्नि बाली देवी (फौत) होना व आठ पुत्र रामस्वरूप, हरफुल, कृष्ण कुमार, मोहरसिंह, राममूर्ति, शिशपाल, राजेन्द्र प्रसाद, जगदीश मौजूद होना व एक पुत्री शांति देवी मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के वर्तमान खाता सं0 112/106 के खसरा सं0 187 की 2.010 है0 खसरा सं0 336/375 की 12.140 है0 खसरा सं0 346 की 1.569 है0 खसरा सं0 361/287 की 2.529 है0 कुल 18.248 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामजस के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी रामजस के

बजाय वादीगण सं0 1 ता 6 का 6/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण सं0 7 ता 9 का 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार व वादीगण सं0 10 ता 12 का 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 रामजस व प्रतिवादिया सं0 2 शांति ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 166/2018

अनवान :

1. रामस्वरूप पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
2. हरफुल पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. कृष्णकुमार पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
4. मोहरसिंह पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
5. शीशपाल पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
6. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रामजस जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
7. संगीता पत्नी राममूर्ति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
8. विशाल पुत्र राममूर्ति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
9. विकासकुमार पुत्र स्व0 राममूर्ति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
10. दर्शना पत्नी स्व0 जगदीश जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
11. एकता पुत्री स्व0 जगदीश जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
12. अजयकुमार पुत्र स्व0 जगदीश जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. रामजस पुत्र दलुराम जाट निवासी शिवदनपुरा तहसील भादरा।
2. शान्ति पुत्री रामजस जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा।
3. एसबीआई डाबडी जरिये शाखा प्रबन्धक डाबडी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के वर्तमान खाता सं0 112/106 के खसरा सं0 187 की 2.010 है0 खसरा सं0 336/375 की 12.140 है0 खसरा सं0 346 की 1.569 है0 खसरा सं0 361/287 की 2.529 है0 कुल 18.248 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामजस के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी रामजस के बजाय वादीगण सं0 1 ता 6 का 6/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण सं0 7 ता 9 का 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार व वादीगण सं0 10 ता 12 का 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 रामजस व प्रतिवादिया सं0 2 शांति ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़